लक्ष्मी देवी बनाम पेमी

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>मु. नं. 45/23<br>धारा - 212 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|
| 12/9/24<br>आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यो मे व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनाक 14/10/24 को पेश हो।<br>रीडर<br>न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर | |
| 14.10.24<br>आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यो मे व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनाक 28.10.24 को पेश हो।<br>रीडर<br>न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर | |
| 28/10/24<br>आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यो मे व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनाक 08/11/24 को पेश हो।<br>रीडर<br>न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर | |
| 8/11/24<br>आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यो मे व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनाक 14/11/24 को पेश हो।<br>रीडर<br>न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर | |
| 19.11.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी क्र. 1 का जवाब पूर्व में पेश है तथा अप्रार्थी क्र. 2 व 3 को वादी दिनांक 6.8.24 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली जा चुकी है। प्रार्थी/अप्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र 212 स्वीकार किया जाकर पृथक से मेरे द्वारा निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया जो शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।<br>सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर | |

# न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2023 (108/2023) जिला अजमेर

**पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्रीमती रतन कौर**

श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. श्री पप्पू पुत्रवधु स्व. छोटू जाति रावत निवासी ग्राम बूबानी तहसील व जिला अजमेर।

––प्रार्थीया

**बनाम**

1. श्रीमती प्रेमी पुत्री छोटू पत्नी श्री लक्ष्मण जाति रावत निवासी भवानीखेडा (नरवर) तहसील व जिला अजमेर
2. श्री शंकर पुत्र श्री श्रवण
3. श्री सुखदेव पुत्र श्री श्रवण
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम बूबानी तहसील व जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

––अप्रार्थीगण

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–

1. श्री एन.एस. राजावत — अभिभाषक प्रार्थीया
2. श्री अजीत सिंह राठौड़ — अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1

**निर्णय**

**दिनांक 19.11.2024**

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकिल उपस्थित। आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया कि वादी द्वारा वाद अर्न्तगत धारा 53, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत किया तथा उक्त राजस्व वाद के साथ उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बुबानी तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित अराजियात वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 के खाता संख्या 588 में कये गये इन्द्राज के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 लगायत 3 के पैतृक संयुक्त खातेदारी व आधिपथ्य में चली आ रही हैं, जिसमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 1 लगायत 3 का 1/4–1/4 हिस्सा चला आ रहा हैं, जिसका खसरा नम्बर 1590 रकबा 0.070 हैंक्टयर, बारानी–02 खसरा नम्बर 1597 रकबा 0.180 हैंक्टयर, बारानी–2 खसरा नम्बर 1607 रकबा 0.1100 हैंक्टयर, चाही–03 खसरा नम्बर 1608 रकबा 0. 120 हैंक्टयर, चाही 02 खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.100 हैंक्टयर, बारानी–02 खसरा नम्बर 360 रकबा 0.270 हैंक्टयर, बारानी 01 **कुल किता 06 कुल रकबा 0.8500 हैंक्टयर** वर्णित भूमियों का किसी प्रकार से कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है. परन्तु पूर्वाधिकारियों के समय से मौखिक रूप में हुए बाहमी विभाजन के तहत अपने–अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज–काश्त चले आ रहे है, परन्तु प्रार्थीया के सास–ससुर एवं पति का स्वर्गवास हो जाने तथा कोई जाईन्दा पुत्र व पुत्री नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं. 01 एवं उसके परिवारजन द्वारा दुर्भावनापूर्वक प्रार्थीया के हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि को हडप किये जाने के आशय से आये दिन अविधिक रूप से हैरान–परेशान, व्यवधान व दखल उत्पन्न किया जा रहा है, इस कारण प्रार्थीया का अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 के साथ संयुक्त रूप से कब्जा काश्त बनाये रखना असम्भव हो गया है, अतः प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 02 में वर्णित कृषि भूमियों का विधिक हक–अधिकार व आधिपत्य के अनुरूप बाय मीटस एण्ड बाउण्डस विधिक विभाजन किया जाकर तदानुसार मौके व राजस्व रेकॉर्ड में पालना करवाये जाने की घोषणात्मक आज्ञाप्ति पारित फरमाये जाने हेतु मूल वाद–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, तथा ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 01 एवं उनके परिवारजन द्वारा अप्रार्थी सं. 02 व 03 का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त कर प्रार्थीया को उसके हक व हिस्से की भूमि पर काश्त इत्यादि किये जाने में व्यवधान, दखल, बाधा अवरोध उत्पन्न करते है, जिस अविधिक आशय से अप्रार्थी सं. 01 एवं उसके पति श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि पर विद्यमान तारबन्दी एवं निवास स्थान पर अनाधिकृत रूप से हक–अधिकार स्थापित किये जाने हेतु मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीया

सहायक कलक्टर (मु०), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा पुलिस थाना, गेगल के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर राजीनामा दिनांक 24.05.2023 के तहत अविधिक रूप से लगाये गये ताले को हटाया गया, तत्पश्चात अप्रार्थी सं. 01 एवं उनके परिवार इत्यादि द्वारा प्रार्थीया के कब्जे काश्त इत्यादि में दखल कर निरन्तर हैरान व परेशाने किया जा रहा है, और यदि वह अपने अविधिक कृत्य में सफल हो जाते है, तो प्रार्थीया के विधिक हक अधिकार व आधिपत्य का हनन होकर मूल वाद–पत्र एवं वर्तमान प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने का आशय ही समाप्त हो जावेगा, जिससे प्रार्थीया को प्रकरणों की बहुलता में लिप्त होना होगा, जिसमें होने वाली आर्थिक व मानसिक क्षति का मुद्रा में आंकलन किया जाना असम्भव है, अतः अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 एवं उनके नौकरान, एजेन्टान, असाईनीज, मित्रगण, रिश्तेदारान इत्यादि को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से निरोधित फरमाये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्णित भूमियों में प्रार्थीया का अविभाजित 1/4 खातेदारी हक अधिकार व आधिपत्य निहित करता है, से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त, कानून, न्याय व समानता प्रार्थीया के पक्ष में निहित करते है। वर्णित कृषि भूमियां ग्राम बूबानी, तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित होकर प्रार्थना–पत्र की सुनवाई व निर्णय का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित करता है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 एवं उनके नौकरान, उनके नौकरान, एजेंटान, असाईनिज, मित्रगण, रिश्तेदारान इत्यादि को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से निरोधित फरमाया जावे की वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमियों में निहित वादिया के हक अधिकार, खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान, दखल, बाधा, अवरोध, अतिक्रमण, अतिचार, निर्माण इत्यादि नही करे, तथा ना ही रहन, बय, मुतंकिल इत्यादि करें, अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पृथक से वादिया को प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अवगत करवाया की वादग्रस्त आराजीया गाम बूबानी तहसील व जिला अजमेर में अवस्थिति होना स्वीकार है जिसमें पतिवादीया संख्या 01 का 1/4 हिस्सा निहित होनो स्वीकार है। उक्त आराजीयात के अतिरिक्त वर्किंग खसरा नम्बर 64 रकबा 1–6–0 बीघा जिसके आधार खसरा नम्बर 95 रकबा 0.21 हैक्टर तथा वर्किंग खसरा नम्बर 1192 मिन रकबा 1–3–0 बीघा जिसके आधार खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.18 हैक्टर शामिल नहीं की गयी है। चूंकि बन्दोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग खसरा नम्बर 64 रकबा 1–6–0 बीघा त्रुटिपूर्ण रूप से भागचन्द पुत्र श्रवण के नाम तथा वर्किंग खसरा नम्बर 1192/1 रकबा 1–3–0 बीघा त्रुटिपूर्ण रूप से ग्राम पंचायत के नाम अंकित कर दिया। जिस बाबत् प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात सहित खसरा नम्बर 64/1192/1 बाबत् भी अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दुरूस्ती इन्द्राज, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पूर्व से ही वाद संख्या 52/2022 बउनवानी श्रीमती पेमी बनाम् श्रीमती लक्ष्मी वगैरह विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थीया श्रीमती लक्ष्मी द्वारा अपूर्ण आराजीयात बाबत् उक्त बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होकर काबिल निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित कथन पूर्व से विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 52/2022 बउनवानी श्रीमती पेमी बनाम् श्रीमती लक्ष्मी वगैरह जो माननीय न्यायालय के समक्ष ही विचाराधीन है एवं उक्त वाद दुरूस्ती इन्द्राज, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है, के तथ्यों को छिपाकर आंशिक आराजीयात बाबत् प्रस्तुत किया गया है जो पश्चातवर्ती वाद होने के कारण प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होकर वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है, क्योंकि प्रार्थना पत्र संख्या 52/2022 में मुर्तिब अप्रार्थीया संख्या 1 श्रीमती लक्ष्मी द्वारा ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो मात्र बंटवारा वाद है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र की दादरसी पूर्व से विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 52/2022 में लक्ष्मी को स्वतः ही प्राप्त हो जायेगी जिससे उक्त पश्चातवर्ती वाद व प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित कथन गलत होकर अस्वीकार हैं। क्योंकि स्वयं प्रार्थीया श्रीमती लक्ष्मी द्वारा अप्रार्थीया संख्या 1 के संयुक्त निवास एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में दखलंदाजी एवं मदाखलत की जा रही है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन तथा नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वयं सिद्ध होकर उक्त प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित कथन कानूनी है। शेष प्रार्थना है जो प्रार्थीया पाने की अधिकारिणी नही होकर प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है। माननीय न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात एवं वर्किंग खसरा नम्बर 64 रकबा 1–6–0 बीघा जिसके आधार खसरा नम्बर 95 रकबा 0.21 हैक्टर तथा वर्किंग खसरा नम्बर 1192 मिन रकबा 1–3–0 बीघा जिसके आधार खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.18 हैक्टर बाबत् प्रार्थना पत्र संख्या 52/2022 बउनवानी श्रीमती पेमी बनाम् श्रीमती लक्ष्मी वगैरह वास्ते उदघोषणा खातेदारी/दुरूस्ती इन्द्राज, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पूर्व से ही विचाराधीन है। जिसके नोटिस वर्तमान प्रार्थीया को तामील हो चुके हैं जिससे उक्त पश्चातवर्ती वाद बाबत् दिनांक 20.5.2023 एवं 22.5.2023 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद कारण के अभाव में उक्त वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की सम्पूर्ण पुश्तैनी/संयुक्त खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात बाबत प्रस्तुत नही किया जाकर मात्र आंशिक आराजीयात बाबत् प्रस्तुत किया गया है जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (2) के अनुसार विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा में आने से प्रथम दृ

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

दृष्टया संधारण योग्य नहीं होकर वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है। समान आराजीयात बाबत् दो बंटवारा वाद एक साथ विचाराधीन नहीं रह सकते क्योंकि दोनों प्रार्थना पत्रों में पृथक–पृथक विरोधाभाषी आज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकती जिससे उक्त पश्चातवर्ती वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थीगण संख्या 2 से 3 द्वारा बावजूद नोटिस तामिल होने के ना तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिनके विरूद्व दिनांक 06.08.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसके उपरान्त भी शेष अप्रार्थीगण द्वारा ना तो कोई अपना जवाब प्रस्तुत किया ना ही कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

उभय पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में पारित अंतरिम अस्थाई निषेघाज्ञा दिनांक 16.06.2023 को ताफैसला मूल वाद पुष्टि करते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेज का सादर अवलोकन किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निम्न तीन बिन्दुओं का निर्धारण किया जाना आवश्यक है :–

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम बुबानी तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित अराजियात वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 के खाता संख्या 588 में कये गये इन्द्राज के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 लगायत 3 के पैतृक संयुक्त खातेदारी व आधिपथ्य में चली आ रही हैं, जिसमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 1 लगायत 3 का 1/4–1/4 हिस्सा चला आ रहा हैं, जिसका खसरा नम्बर 1590 रकबा 0.070 हैंक्टयर, बारानी–02 खसरा नम्बर 1597 रकबा 0.180 हैंक्टयर, बारानी–2 खसरा नम्बर 1607 रकबा 0.1100 हैंक्टयर, चाही–03 खसरा नम्बर 1608 रकबा 0.120 हैंक्टयर, चाही 02 खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.100 हैंक्टयर, बारानी–02 खसरा नम्बर 360 रकबा 0.270 हैंक्टयर, बारानी 01 **कुल किता 06 कुल रकबा 0.8500 हैंक्टयर।** दिनांक 06.08.2024 की आदेशिका पर 02 व 03 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। इस प्रकार गुणावगुण पर किसी प्रकार के टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत अभिवचनो एवं दस्तावेजी साक्ष्य व निर्णय के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूणीय क्षति :– यह अप्रार्थीया संख्या 1 लगायत 3 का 1/4–1/4 हिस्सा पर वास्तविक कब्जे काश्त में चला आ रहा है पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनो एवं साक्ष्य के तहत सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा पंजीकृत दस्तावेज अथवा अन्य किसी आधार पर प्रार्थी के आधिपत्य में किसी प्रकार का दंखल कर भूमि का अन्तरण कर अन्यथा कोई निर्माण इत्यादि किया जाता है तो अपूणीय क्षति भी प्रार्थी को कारित होने की पूर्ण सम्भावना है साथ ही विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि मूल वाद के तहत विचारणीय विधिक बिन्दु निहित होकर निर्णित किया जाना शेष है तब तक प्रकरण की विषय वस्तु को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार उपरोक्त तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थी का अस्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूणीय क्षति सिद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेघाज्ञा दिनांक 16.06.2023 की पुष्टि करते हुए उभय पक्ष को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(श्रीमती रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner